कर्णम राम नरसैया और अन्य

बनाम

आन्ध्र प्रदेश राज्य

के.जी. बालाकृष्णन व डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन न्यायाधिपतिगण

दंड संहिता, 1860 - धारा 302 सपिठत धारा 34-17 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से ट्रायल कोर्ट ने 5 को दोषी ठहराया-उच्च न्यायालय में उनमें से केवल तीन को दोषी ठहराया-दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गयी कि उनके खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 302 सपिठत धारा 34 के लिए कोई आरोप नहीं था-माना गया, कि अपीलकर्ताओं की धारा 302 सपिठत धारा 34 के तहत दोषसिद्धि में कोई वृटि या अवैधता नहीं है। धारा 302 सपिठत धारा-34 के तहत यह साबित होता है कि अपीलकर्ताओं ने एक सामान्य आशय से मृतक पर हमला किया।

मल्हू यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, (2002) 5 एससीसी 724, पर विश्वास किया गया।

नीनाजी रावजी बुद्धा एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य,(1976) 2 एससीसी 117 और राम लाल बनाम दिल्ली प्रशासन,(1973) 3 एससीसी 466 को अप्रयोग्य माना गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या

आंघ्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 28.01.2003 जो कि आपराधिक अपील नंबर 1080/2001 में पारित किया गया।

श्रीमती डी. भारती रेड्डी-वास्ते अपीलार्थीगण मोहन प्रसाद महरिया-वास्ते प्रत्यर्थी

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गयाः

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नलगोंडा, आंध्र प्रदेश राज्य में सत्रह अभियुक्तों को धारा 148 और 302 सपिठत धारा 34, 307 और 324 सपिठत धारा 149 भा.दं.सं. व धारा 3 व 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए विचारित किया गया। सत्र न्यायाधीश ने पाँच आरोपियों को दोषी ठहराया, जो ए 1 से ए 4 और ए 9 हैं। इन दोषी व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की और उच्च न्यायालय ने ए 2 और ए 9 को बरी कर दिया और पहले, तीसरे और चौथे आरोपी को भा.दं.सं. की धारा 302 सपिठत धारा 34 के तहत दंडनीय हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। उनकी दोषसिद्धि और सजाओं को हमारे सामने चुनौती दी गई है।

घटना 21.11.1995 को शाम करीब 6.30 बजे की है, मृतक सुनकारी लिंगैया और आरोपी व्यक्ति बक्कैयागुडेम गाँव के निवासी थे। सभी आरोपी एक राजनीतिक दल के थे और मृतक दूसरे राजनीतिक दल के थे। ऐसा

लगता है कि किसी स्थानीय सहकारी समिति के पदाधिकारियों के पद के लिए कोई चुनाव हुआ था और इसी को लेकर विवाद खडा हो गया। मृतक पीडब्लू 1, 2 और 3 के साथ फसल की सिंचाई के लिए अपने कृषि क्षेत्र में जा रहा था। आरोपी एक मंदिर के पास इंतजार कर रहे थे और जब पीडब्लू 1 और 2 आरोपियों के पास पह्ॅचे तो पहले आरोपी ने बम फेका और वह फट गया। इसके बाद ए 1 से ए 4 जो लाठी-डंडों से लैस थे, ने मृतक को पीटना शुरू कर दिया। यह आरोप लगाया गया था कि ए 2 ने मृतक की बायीं ऑख पर वार किया, ए 3 ने पीठ और छाती के बाई ओर मारा और ए 2 ने सिर पर पत्थर से वार किया और ए 4 ने भी मृतक को पीटा। पीडब्लू 3 से 5 ने पीडब्लू 1, 3 और मृतक को बचाने की कोशिश की लेकिन उन्हें भी पीटा गया। शोर सुनकर मृतक की माँ, पत्नी, बहन और कुछ अन्य लोग घटनास्थल पर आए और तब सभी आरोपी मौके से चले गए। पीडब्लू 1 सुबह लगभग 9.45 बजे नेरेडुचेरला पुलिस स्टेशन गया और हैड कॉस्टेबल पीडब्लू 15 के सामने बयान दिया। घायल को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई।

पीडब्लू 16 सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर हुजूरनगर ने अनुसंधान किया और उन्होंने ए 1 व ए 2 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू 1 से 16 को परिक्षित करवाया गया और प्रदर्श पी 01 से पी 32 एवं संख्या 1 से 15 तक का अंकन कराया गया। हालांकि, पूर्व पी.डब्लू. 01 को दोषी नहीं पाया गया।

सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के मामले को आंशिक रूप से स्वीकार किया और माना कि ए 1 से ए 4 और ए 9 दोषी थे। अपील मे उच्च न्यायालय ने माना कि मृतक सुनकारी लिंगैया की मौत के लिए ए 1 से ए 3 और ए 4 जिम्मेदार थे। उन्हें धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे सामने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने इन अपीकर्ताओं को धारा 302 संपठित धारा 34 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराने में गंभीर रूप से त्रुटि की है, क्योंकि धारा 302 संपठित धारा 34 भा.दं.सं. में आरोपी अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई आरोप दायर नहीं किया गया था। अपीलकर्ता के वकील ने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप केवल धारा 302 के तहत अपराधों के लिए थे और अधिवक्ता ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय को अपीकर्ताओं को उपरोक्त धाराओं के तहत दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था। यह तर्क दिया गया कि यह विशिष्ट नहीं है कि मृतक को घातक चोटें किसने पहुँचाई और इसलिए कम अपराध के लिए दोषसिद्धि होनी चाहिए थी।

हमारा ध्यान रिकॉर्ड पर रखे गए चिकित्सीय साक्ष्यों की ओर आकर्षित किया गया। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने इंगित किया कि मृतक को कम से कम 10 चोटें थी और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने राय दी थी कि केवल चोट नंबर 01 घातक चोट थी और चोट नंबर 10 संबंधित आंतरिक चोट थी। चोट संख्या 01 पश्चकपाल क्षेत्र पर 5"× 2"× 1 1/2" का घाव था और इसके परिणामस्वरूप आंतरिक चोट से पता चलता है कि पश्वकपाल, टेम्पोरल और ललाट की हिइड्यों में फ्रैक्चर था और पश्वकपाल क्षेत्र में मस्तिष्क के ऊतकों को देखा गया था। अतिरिक्त और इंट्रा डयूरल हेमोटोमा मौजूद थे। यह भी ध्यान देेने योग्य है कि चोट संख्या 2 बाई आंख के ऊपर 3"× 1 1/2" की नीलगू थी और तीसरी चोट बॉए ललाट क्षेत्र पर 3"× 2" की सूजन थी और चौथी चोट थी बाएं कनपटी क्षेत्र पर 2"× 2" की नीलगू थी। कुल मिलाकर मृतक के सिर पर चार चोटें थी। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कथन किया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि घातक चोट किसने पहुंचाई या किस प्रकार।

उच्च न्यायालय ने अपीकर्ताओं को धारा 302 संपठित 34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया है और अपीलकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार यह गलत था क्योंकि अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 302 संपठित 34 के तहत कोई आरोप नहीं था। हम अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई उज्ज को स्वीकार करने में असमर्थ है।

रिकॉर्ड पर आई साक्ष्य से पता चलता है कि सभी अपीलकर्ता मृतक के घटनास्थल पर आने का इंतजार कर रहे थे और सभी चश्मदीद गवाहों ने गवाही दी कि ए 1 से ए 2 और ए 4 वहाँ थे। अपीलकर्ता के अधिवक्ता (1976) 2 एससीसी पृष्ठ 117, नीनाजी रावजी बुद्धा और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य पर भरोसा करने की माँग की।

यह एक ऐसा मामला है जहां मृतक के शरीर पर केवल एक चोट थी

और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि चोट किसने पहुंचाई, अदालत ने माना कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत यह प्रकट नहीं करते हैं कि अपीलकर्ता का मृतक को पीटने का सामान्य आशय था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दो व्यक्तियों ने मृतक को चोट पहुंचाई थी और एक को विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया था और इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि उनमें से किसने घातक चोट पहुंचाई थी। उन परिस्थितियों में अपीलकर्ताओं की सजा को धारा 302 संपठित धारा 34 से धारा 325 सपठित धारा ३४ भा.दं.सं. में उपान्तरित किया गया। यह निर्णय अपीलकर्ताओं को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। एक और फैसला जिसपर अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया है (1976) 3 एससीसी पेज 466 राम लाल बनाम दिल्ली प्रशासन में रिपोर्ट किया गया है। इस मामले में केवल एक ही अपीलकर्ता को धारा 302 के तहत अपराध के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था। सबूतों से पता चला कि मृतक को दो लाठियां मारी गई थी और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अपीलकर्ता ने इन दोनों में से कौनसी लाठियां मारी थी। इस न्यायालय का विचार था कि शायद अपीलकर्ता ने घातक वार किया होगा या अन्य हमलावर ने वार किया होगा। उन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को भा.दं.सं. की धारा 302 से धारा 325 में बदल दिया गया।

वर्तमान मामले में यह साबित हो गया है कि ए 1, ए 2 और ए 4 ने

मृतक के सिर पर चोटें मारी हैं। अपीलकर्ता हमलावरों के आने का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने मिलकर एक सामान्य इरादे से मृतक पर हमला किया और यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पता चलता है। इस न्यायालय द्वारा (2002) 5 एससीसी पेज 424 मल्हू यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 34 के तहत आरोप के अभाव में भी आरोपी व्यक्तियों को धारा 34 सपठित धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, बशर्त तथ्य और परिस्थितियों दर्शाती हो कि सामान्य आशय मौजूद था और आरोपी ने ऐसी मनसा से कार्य कर अपराध किया था।

परिणामस्वरूप, हम धारा 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं पाते हैं अन्यथा भी उनके खिलाफ धारा 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत कोई विशेष आरोप नहीं था। अपील तदनुसार खारिज की जाती है। यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीरज गुप्ता(आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है। अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।